:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–4/2016–वे0आ0–1–430/दस–2106–42(एम)/2008 दिनांक 13 जून, 2016 के क्रम में परिपत्र संख्या–सी–23/स्थापना/मं0भत्ता/16–17 दिनांक 16.06.2016 द्वारा बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को संशोधित दरो से महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, पुनः राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–10/2016–वे0आ0–1–1070(2)/दस–2016–8(एम)/2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0(2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित नही हुये है को दिनांक 01 जुलाई 2016 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः प्रतिनियुक्ति पर बैंक में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जो शासनादेश सं0 वे0आ0–1–1314(1)/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के क्रम में, दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानो में कार्यरत है, उन्हें शासनादेश संख्या–4/2016–वे0आ0–1–430/दस–2106–42 (एम)/2008 दिनांक 13 जून, 2016 के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 125 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर को दिनांक 01.07.2016 से उनके मूल वेतन का 132 प्रतिशत की दर से संशोधित करते हुये महंगाई भत्ते की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा बैंक में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों जो बैंक आदेशांक 24607/स्था0/10–11 दिनांक 26.05.11 द्वारा लागू छठे वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को शासनादेश संख्या–10/2016–वे0आ0–1–1070(2)/दस– 2016–8(एम)/2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 के क्रम में दिनांक 01.07.2016 से उनके मूल वेतन का 132 प्रतिशत की दर से संशोधित करते हुये महंगाई भत्ते की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियो को अनुमन्य वेतन बैन्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। परंतु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जाएगा।

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई है।

3– इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : सी – 102 /स्थापना/मं0भत्ता/2016–17 दिनांक : 02.01.2017

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
2– प्राचार्य,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3– प्रबन्धक श्रेणी–3(लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
4– समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
5– उप महाप्रबन्धक(आई0टी0 सेल/कम्पयूटर) को ई–मेल व वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

ह0/–
(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)